

## कार्य मंत्रणा समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

### पहला प्रतिवेदन

(26.06.2019 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, 25 जून, 2019 को हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए प्रत्येक के सामने दर्शाए गए समय के नियतन की सिफारिश की:—

- |  |        |
|--|--------|
| (1) मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।           | 3 घंटे |
| (2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 5) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए। | 2 घंटे |
| (3) कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 6) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा कंपनी (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।   | 2 घंटे |
| (4) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 7) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।                       | 2 घंटे |
| (5) जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 8) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।                     | 1 घंटे |
| (6) आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 9) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।                         | 3 घंटे |
| (7) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 10) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।            | 2 घंटे |

- |  |        |
|--|--------|
| (8) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 11) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।                              | 2 घंटे |
| (9) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 12) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए।  | 2 घंटे |
| (10) केन्द्रीय शिक्षा संस्था (अध्यापक कैंडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 13) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा केन्द्रीय शिक्षा संस्था (अध्यापक कैंडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए। | 2 घंटे |
| (11) दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019<br>( विचार तथा पारित करना)   | 2 घंटे |

नई दिल्ली;  
25 जून, 2019  
4 आषाढ़, 1941 (शक)

ओम बिरला  
सभापति,  
कार्य मंत्रणा समिति।